AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 21 OF 2015

THE HIMACHAL PRADESH PRIVATE MEDICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATION OF ADMISSION AND FIXATION OF FEE) AMENDMENT BILL, 2015

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH PRIVATE MEDICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATION OF ADMISSION AND FIXATION OF FEE) AMENDMENT BILL, 2015

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 2.
3. Amendment of section 3.

Bill No. 21 of 2015

THE HIMACHAL PRADESH PRIVATE MEDICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATION OF ADMISSION AND FIXATION OF FEE) AMENDMENT BILL, 2015

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Private Medical Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Act, 2006 (Act No.16 of 2006). Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Private Medical Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Amendment Act, 2015.

Amendment of section 2

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Private Medical Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Act,2006 (hereinafter referred to as the 'principal Act'), for existing clauses (e) and (j), the following clauses shall respectively be substituted, namely:-

"(e) "management category" shall mean and imply seats in an institution as specified by the State Government from out of the sanctioned intake other than those reserved for State quota; and

(j) "Private Medical Educational Institution" means an institution not promoted or run by the Central Government, State Government or Union Territory Administration or any agency or instrumentality of the Central or State Government and includes a Private Medical Educational Institution established by or affiliated to a private university;".

Amendment of section 3

In section 3 of the principal Act, for sub-section (6), the following sub-sections shall be substituted, namely:-

"(6) If, the State Government is satisfied that the institution affiliated to the Himachal Pradesh University or any other University has

contravened any of the provisions of this Act, it may recommend to that University for withdrawal of recognition or affiliation of such institution.

(6a) In order to ensure common standards for maintaining the excellence of Medical Education in the State, the Himachal Pradesh University shall have the exclusive power to affiliate Private Medical Institutions set up in the State; and

(6b) Notwithstanding anything contained in this Act, the Private Medical Educational Institutions shall be bound to comply with all the rules, directions and notifications issued by the State Government, from time to time, and provide all such facilities and assistance as are required to implement such rules, directions and notifications".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 3 of the Himachal Pradesh Private Medical Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Act, 2006 provides for regulation of admission in Private Medical Educational Institutions on the basis of merit obtained in Centralized Common Admission Test. However, it has been observed that due to some loop holes and ambiguities in definitions of clauses (e) and (j) of section 2, the same are being misused by the Private Medical Educational Institutions to introduce element of opaqueness and irregularities in the admission process. Therefore, to plug such loopholes, it is considered necessary to remove these ambiguities and to redefine clauses (e) and (j) of section 2 and also to amend section 3 of the Act ibid, so that the admissions are made from the Centralized examinations (AIIPMT, NEET) conducted either by central agency (with CBSE) or by Himachal Pradesh University and to ensure that all Private Medical Educational Institutions are regulated under the provisions of the Act ibid. This has necessitated amendment in the Act ibid.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(KAUL SINGH THAKUR
Minister-in-charge

Shimla:
The…………,2015

FINANCIAL MEMORANDUM

-NIL-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

--Nil—

THE HIMACHAL PRADESH PRIVATE MEDICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATION OF ADMISSION AND FIXATION OF FEE) AMENDMENT BILL, 2015

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Private Medical Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Act, 2006 (Act No.16 of 2006).

(KAUL SINGH THAKUR)
Minister-in-charge

(DR. BALDEV SINGH)

Secretary (Law).

Shimla:

The…………………,2015.

Extract of the Provisions of the Himachal Pradesh Private Medical Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Act, 2006 (Act No. 16 of 2006) likely to be affected by this Amendment Bill.

Section:

2. Definitions.-

(a) to (d) XXX XXX XXX XXX

(e) "management category" shall mean and imply seats in an institution; from out of the sanctioned intake, other than those filled by the authorized agency of the State Government, allocated to the management of the institution for being filled by it in accordance with the provisions of this Act;

(g) to (i) XXX XXX XXX XXX

(j) "Private Medical Educational Institution" means an institution not promoted or run by the Central Government, State Government or Union Territory Administration of any agency or instrumentality of the Central or State Government;

(k) to (o) XXX XXX XXX XXX

3. Regulation of admission, fixation of fee and making of reservation.-

(1) The State Government may regulate admission, fix fee and make reservation for different categories in admissions to Private Medical Educational Institutions.

(2) The State Government shall ensure that the admission under all the categories in an institution is done in a fair and transparent manner.

(3) The State Government, may constitute an Admission and Fee Committee, (herein referred to as the 'Committee')' consisting of such members as may be specified by the State Government, by notification, to recommend the mode of admission, making of

reservation, allocation of seats and fixation of fees etc. to the State Government.

(4) The State Government, shall oversee the working of Admission and Fee Committee.

(5) The terms and conditions of the Committee constituted under sub-section (3) and its members shall be specified, by the State Government, by notification from time to time.

(6) If, the State Government is satisfied that the institution affiliated to the Himachal Pradesh University has contravened any of the provisions of this Act, it may recommend to the Himachal Pradesh University for withdrawal of recognition or affiliation of such institution.

(7) The State Government, shall take appropriate action wherever deemed necessary, with regard to improvement in the system of making admissions in the institutions, charging of fee by the institutions and on any other matter, which may be necessary to facilitate smooth running of the system and to remove grievances.

2015 का विधेयक संख्यांक 21.

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) संशोधन विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) संशोधन विधेयक, 2015

खण्डों का कम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम ।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. धारा 3 का संशोधन।

2015 का विधेयक संख्यांक 21

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) संशोधन विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्यांक 16) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) संशोधन अधिनियम, 2015 है।

धारा 2 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 के विद्यमान खण्ड (ङ) और (ञ) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(ङ) ''प्रबन्धन प्रवर्ग'' से किसी संस्था में, राज्य कोटे के लिए आरक्षित से भिन्न, मंजूर सीटों (इनटेक) में से राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सीटें (स्थान) अभिप्रेत और विवक्षित होंगी; और

(ञ) ''प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था'' से ऐसी संस्था अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ शासित प्रशासन या केन्द्रीय

या राज्य सरकार के किसी अभिकरण या परिकरण द्वारा सवंर्धित या चलाई न गई हो और इसके अन्तर्गत किसी प्राइवेट विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या उससे सहबद्ध प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था भी है;'' ।

धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

''(6) यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय से सहबद्ध संस्था ने इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है तो वह ऐसी संस्था की मान्यता या सहबद्धता को प्रत्याहृत करने के लिए उस विश्वविद्यालय से सिफारिश कर सकेगी।

(6क) राज्य में चिकित्सा शिक्षा की उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए सामान्य स्तरमानों को सुनिश्चित करने के आशय से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को राज्य में स्थापित प्राइवेट चिकित्सा संस्थानों को सहबद्ध करने की अनन्य शक्ति होगी।; और

(6ख) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था, सरकार द्वारा समय–समय पर जारी समस्त नियमों, निदेशों और अधिसूचनाओं का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगी और ऐसी समस्त प्रसुविधाएं और सहायता उपलब्ध करवाएगी जैसी ऐसे नियमों, निदेशों और अधिसूचनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित हो ।'' ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं में, केन्द्रीयकृत सामान्य प्रवेश परीक्षा में अभिप्राप्त मैरिट के आधार पर, प्रवेश के विनियमन का उपबन्ध करती है। तथापि, यह पाया गया है कि धारा 2 के खण्ड (ङ) और (ञ) की परिभाषाओं में कतिपय कमियों और अस्पष्टताओं का, प्रवेश प्रक्रिया में अपारदर्शिता और अनियमितताओं के कारक के रूप में, प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा दुरूपयोग किया जा रहा है। इसलिए ऐसी कमियों को दूर करने के लिए, इन अस्पष्टताओं का निराकरण करना और धारा 2 के खण्ड (ङ) और (ञ) को पुनः परिभाषित करने के साथ–साथ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 को भी संशोधित करना आवश्यक समझा गया है ताकि प्रवेश या तो केन्द्रीय अभिकरण (केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) द्वारा या हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा संचालित केन्द्रीयकृत परीक्षाओं (ए.आई.आई.पी.एम.टी, एन.ई.ई.टी.) के माध्यम से किए जाएं और यह सुनिश्चित किया जा सके कि समस्त प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाएं पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विनियमित हों। इसलिए, पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(कौल सिंह ठाकुर)

प्रभारी मन्त्री।

शिमलाः

तारीखः 2015

———

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

——

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

——

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) संशोधन विधेयक, 2015

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्यांक 16) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

(**कौल सिंह ठाकुर**)

प्रभारी मन्त्री।

———

(डॉ0 बलदेव सिंह)

सचिव (विधि)।

शिमलाः

तारीखः 2015

इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्यांक 16) के उपबन्धों के उद्धरण

धाराएं:

2. परिभाषाएं.– इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

खण्ड (क) से (घ) तक XXX XXX XXX

(ङ) ''प्रबन्धन प्रवर्ग'' से किसी संस्था में मंजूर स्थानों (इनटेक) में से, राज्य सरकार के प्राधिकृत अभिकरण द्वारा भरे जाने वाली सीटों (स्थानों) से अन्यथा, संस्था के प्रबन्धन को, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा भरे जाने के लिए आबंटित, सीटें (स्थान) अभिप्रेत और विवक्षित होंगी;

खण्ड (च) से (झ) तक XXX XXX XXX

(ञ) ''प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्था'' ऐसी संस्था अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ शासित प्रशासन या केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी अभिकरण या परिकरणद्वारा सवंर्धित या चलाई न जाती हो;

3. प्रवेश का विनियमन, फीस का नियतन और आरक्षण करना.–

(1). राज्य सरकार विभिन्न प्रवर्गो के लिए प्राइवेट चिकित्सा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रवेश को विनियमित कर सकेगी, फीस नियत कर सकेगी और आरक्षण कर सकेगी ।

(2). राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी संस्था में सभी प्रवर्गो के अन्तर्गत प्रवेश उचित और पारदर्शी रीति में दिया गया है ।

(3). राज्य सरकार, ऐसे सदस्यों, जैसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, से गठित प्रवेश और फीस समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात समिति कहा

गया है) राज्य सरकार को प्रवेश देने, आरक्षण करने, सीटों (स्थानों) का आबंटन करने तथा फीस की रीति की सिफारिश करने के लिए गठन कर सकेगी ।

(4). राज्य सरकार प्रवेश और फीस समिति के कार्यकरण का निरीक्षण करेगी ।

(5) उप धारा (3) के अधीन गठित समिति और इसके सदस्यों के निर्बन्धन और शर्तें समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

(6) यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से सहबद्ध संस्था ने इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है तो वह ऐसी संस्था की मान्यता या सहबद्धता को प्रत्याहृत करने के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से सिफारिश कर सकेगी।

(7) राज्य सरकार संस्थाओं में प्रवेश की पद्धति में सुधार लाने, संस्थाओं द्वारा फीस प्रभारित करने और किसी अन्य मामले, जो पद्धति के निर्बाध परिचालन को सुकर बनाने तथा शिकायतों को दूर करने के लिए आवश्यक हो, की बाबत समुचित कार्रवाई, जहां कहीं आवश्यक समझी जाएं, करेगी।